मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स भोपाल

ईमेल आईडी - niyaman.mpsamb@gmail.com

क्रमांक/बोर्ड/नियमन/परिपत्र/2024/444 **भोपाल, दिनांक 19 /09/2024**

प्रति,

1. संयुक्त संचालक
   मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
   आंचलिक कार्यालय, ...(समस्त)।
2. सचिव
   कृषि उपज मंडी समिति ....(समस्त)।

विषय - कृषकों द्वारा विक्रय कृषि उपज का भुगतान व्यापारियों द्वारा नगद में करने पर किसी प्रकार का कटौत्रा न करने के संबंध में।

संदर्भ - इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/नियमन/भुगतान/369/300 भोपाल, दिनांक 06/05/2017

कृषि उपज मंडी समितियों में कृषि उपज के मूल्य का विक्रेता कृषक को पूर्ण एवं त्वरित भुगतान सुनिश्चित कराना कृषि उपज मंडियों की स्थापना के उद्देश्य में सम्मिलित है। मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 17(2)(सात), धारा 17(2)(तेरह)(क), धारा 37(2) तथा मंडी समितियों के लिए उपविधि, 2000 अंतर्गत उपविधि कंडिका 17(4), कंडिका 17(5) में इसके लिए स्पष्ट प्रावधान उल्लेखित है।

2. संदर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से भी कृषकों द्वारा विक्रय कृषि उपज के भुगतान में किसी प्रकार का कटौत्रा न किए जाने के संबंध में पूर्व से निर्देश जारी है। अधिनियम की धारा 36(3) के तहत अधिसूचित कृषि उपजों के विक्रय हेतु खुली नीलामी पद्धति / घोष विक्रय द्वारा तय किए गए मूल्य मे किसी भी कारण से कोई कटौती नहीं किए जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

3. अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि कृषकों को उनकी उपज का पूर्ण मूल्य, बगैर किसी कटौत्रे के प्राप्त हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

(एम. सेलवेंद्रन)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/नियमन/परिपत्र/2024/445 **भोपाल, दिनांक 19 /09/2024**

प्रतिलिपि-

1. अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उप संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
2. चीफ प्रोग्रामर, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय। वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3. जनसंपर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय। कृषकों को बिना किसी कटौत्रे के भुगतान संबंधी अधिनियम/ नियम/ उपविधि के प्रावधानों का प्रचार प्रसार करने हेतु।
4. गार्ड फाइल।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

Office_Docs_Amit 38